निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1209) पटना, शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2015

गन्ना उद्योग विभाग

————————

आदेश

24 सितम्बर 2015

सं0 वि०ऊ०–02–15/2010 पार्ट–I–2307—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–31(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति अन्तर्गत पेराई सत्र 2015–16 से पेराई सत्र 2019–20 तक (पाँच वर्षो) के लिए ईखापूर्ति हेतु गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को मेसर्स एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, इकाई–लौरिया, पश्चिम चम्पारण के साथ परम्परागत रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक 10 सितम्बर, 2015 को सुनवाई की गई। आदेश संख्या–1616 दिनांक 15.09.2010 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2010–11 से 2014–15 के लिए इस चीनी मिल के लिए 139 ग्रामों का परम्परागत् आरक्षित क्षेत्र गठित किया गया था।

अपने क्षेत्र आरक्षण के संबंध में मेसर्स एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰ के CEO श्री विनोद नेहते द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल के लिए मात्र 139 ग्रामों का पूर्व से परम्परागत् आरक्षित क्षेत्र गठित है। इसके अतिरिक्त पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत 31 ग्राम उन्हें अपराम्परागत रूप में आरक्षित हैं। उनके चीनी मिल की दैनिक पेराई क्षमता 3500 TCD है। मिल के साथ एक 60 KLPD की डिस्टीलरी एवं 20 MW क्षमता का सह–विद्युत उत्पादन इकाई भी स्थापित है जो पेराई सत्र 2010–11 से कार्यरत है। उन्होनें बताया कि राज्य सरकार के पहल पर एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰ द्वारा इस नये इकाई की स्थापना की गई है। परन्तु, इसके लिए गठित आरक्षित क्षेत्र जिले की अन्य चीनी मिलों की तुलना में सबसे छोटा है। एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰ इस मिल की पेराई क्षमता को 5000 TCD तक विस्तारित करना चाहती है परन्तु, इसके लिए यह आवश्यक है कि मिल के लिए गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस मिल के साथ पर्याप्त ग्राम आरक्षित किये जाएं। उन्होनें बताया कि गत् पेराई सत्र के लिए उनके मिल का NCR 35.12 लाख क्विंटल निर्धारित था परन्तु, पेराई हेतु मात्र 25.11 लाख क्विंटल गन्ने की ही उपलब्धता हो पायी। उन्होने बताया कि पेराई सत्र 2015–16 के लिए उनके चीनी मिल का NCR 40.07 लाख क्विंटल निर्धारित हुआ है। पूर्व से गठित उनके परम्परागत् एवं अपराम्परागत क्षेत्र में 27,806.91 एकड़ में ईख का आच्छादन है जिससे उन्हें अनुमानित 38.92 लाख क्विंटल गन्ना पेराई हेतु मात्र उपलब्ध होने की संभावना है।

सुनवाई के क्रम श्री नेहते द्वारा यह जानकारी दी गयी कि उनके आरक्षित क्षेत्र की सीमा से सटे Pockets/Patches में न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स एवं हरिनगर चीनी मिल को क्षेत्र आरक्षित होते आये हैं जिसका उपयोग इन चीनी मिलों द्वारा लौरिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से गन्ने के अवैध खरीद में की जाती रही है। इसकी

सूचना उन्होनें समय–समय पर विभाग को भी दी है और यही कारण है कि उनके क्षेत्र में उपलब्ध सम्पूर्ण गन्ना उनके मिल को पेराई हेतु उपलब्ध नहीं हो पाती है। उन्होंने बताया की Pockets में आरक्षित इन ग्रामों की दूरी उनके चीनी मिल से सबसे ज्यादा निकट है। यहाँ तक कि उनके मिल से 3–6 कि॰मी॰ की दूरी पर अवस्थित ग्राम भी अन्य चीनी मिलों के साथ आरक्षित हैं जहाँ से बड़े पैमाने पर उनके आरक्षित क्षेत्र के ग्रामों से गन्ने की अवैध खरीद की जाती है। इन कारणों से उनके मिल की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है तथा उनकी कम्पनी स्थायित्व प्राप्त करने के बदले रूग्नता की ओर अग्रसर हो रही है।

उन्होने बताया कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा लौरिया चीनी मिल को पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 139 ग्रामों के अतिरिक्त, अपने आरक्षित क्षेत्र से 3 से 6 कि॰ मी॰ की परिधि में स्थित नरकटियागंज चीनी मिल को आरक्षित होने वाले 13 ग्राम, उनके आरक्षित क्षेत्र से सटे दो Pockets में नरकटियागंज को अपरम्परागत् रूप में आरक्षित 7 ग्राम एवं उनके आरक्षित क्षेत्र से घिरे हरिनगर चीनी लि० को अपराम्परागत रूप में आरक्षित ग्राम पिपरहिया (थाना नं० 400) अंचल योगापट्टी को उनके पक्ष में आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया गया है कि इन सभी ग्रामों की दूरी उनके मिल से सबसे समीप है तथा वहाँ के किसानों को भी उनके मिल में ईखापूर्ति में सुविधा रहेगी। उनके द्वारा अपने दावे के पक्ष में नक्शे पर इन ग्रामों की स्थिति भी दिखाई गई।

लौरिया चीनी मिल द्वारा की गयी मांग का नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा विरोध किया गया तथा यह बताया गया कि लौरिया अंचल अन्तर्गत मांगे गये 13 ग्राम उनको पूर्व से ही परम्परागत् रूप में आरक्षित होते आये हैं। उन्होनें बताया कि इसके अतिरिक्त मांगे गये 7 ग्राम उनकी चीनी मिल के साथ पेराई सत्र 2014–15 से 2016–17 तक की अवधि के लिए पूर्व से ही अपराम्परागत् रूप में आरक्षित है।

बैठक में उपस्थित हरिनगर चीनी मिल के प्रबंधक श्री जे० एल० जैन द्वारा बताया गया कि योगापट्टी अंचल अन्तर्गत ग्राम–पिपरहिया (थाना नं० 400) अपराम्परागत रूप में उनके मिल के साथ पेराई सत्र 2014–15 से 2016–17 तक के लिए आरक्षित है। उस ग्राम में उनके मिल द्वारा किसानों को दादनी भी दिया है। अतः ऐसे ग्रामों के आरक्षण पर वर्त्तमान् परम्परागत् आरक्षण के समय विचार नहीं होनी चाहिए। लौरिया चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि 2014–15 के पूर्व ग्राम पिपरहिया (थाना नं०–400) लौरिया मिल के साथ आरक्षित था एवं यह उनके अपरम्परागत् ग्रामों के बीच में स्थित है। इस ग्राम को आधार बनाते हुए हरिनगर मिल द्वारा उनके आरक्षित क्षेत्र से गन्नें की खरीद की जाती है।

इसके पूर्व दिनांक 08.09.2015 को संबंधित क्षेत्र के गन्ना कृषकों की सुनवाई की गयी थी। सुनवाई के दौरान अभिव्यक्त की गई भावनाओं सहित सभी किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। सुनवाई के दौरान योगापट्टी अंचल में न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज को Pockets/Patches में आरक्षित 7 ग्राम के कुछ गन्ना कृषक भी उपस्थित हुए थे तथा उनके द्वारा नरकटियागंज मिल से उनके ग्राम की अत्यधिक दूरी का उल्लेख करते हुए उनके समीप स्थित लौरिया चीनी मिल के साथ परम्परागत् रूप में आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

सुनवाई के क्रम में संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद्, पश्चिम चम्पारण द्वारा किये गये अनुशंसा का भी अवलोकन किया गया। परिषद् द्वारा यथास्थिति बनाये रखने की अनुशंसा की गई है। क्षेत्र आरक्षण से संबंधित कार्यालय में संधारित अभिलेखों का भी अध्ययन किया गया। विचारणीय बिन्दु यह है कि लौरिया चीनी द्वारा उनके आरक्षित क्षेत्र से पड़ोस की चीनी मिलों द्वारा व्यापाक पैमाने पर गन्ने के अवैध खरीद करने का उल्लेख किया गया है जो एक अत्यन्त ही गंभीर मामला है। उल्लेखनीय है कि जब सभी चीनी मिलों को के लिए आरक्षित क्षेत्र गठित है तो अपने मिल में पेराई हेतु उन चीनी मिलों को अपने आरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध गन्नें की ही खरीद करनी है। यदि क्षेत्र में गन्ने की कमी है तो उसके लिए इन मिलों को ईख विकास से संबंधित कार्यक्रम चलाना चाहिए। दूसरे चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध गन्नें का खरीद प्रतिबंधित है तथा पूर्णरूपेण गैर कानूनी है ऐसी स्थिति में क्षेत्र आरक्षण का औचित्य ही नहीं रह जाता है। इस अवैध कार्य से दूसरे चीनी मिल की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अवैध खरीद के साक्ष्य स्वरूप लौरिया चीनी मिल द्वारा उपलबध करवाये गये कागजातों का भी अवलोकन किया गया जिससे प्रथम द्रष्टया इस अवैध कार्य के होने का प्रमाण मिलता है। अतः गन्ने के अवैध खरीद को बंद करने के उद्देश्य से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विभागीय आदेश संख्या–2158 दिनांक 24.09.2014 के माध्यम से अनुसूची–'क' पर वर्णित नरकटियागंज को चीनी मिल को योगापट्टी अचंल अन्तर्गत दो Pockets/Patches में अपरम्परागत् रूप से आरक्षित 7 ग्राम एवं विभागीय आदेश संख्या–2155 दिनांक 24.09.2014 के माध्यम से योगापट्टी अंचल में अनुसूची–'क' के क्रमांक–12 पर अंकित हरिनगर चीनी मिल को अपरम्परागत् रूप में आरक्षित ग्राम पिपरहिया थाना नं॰–400 के आरक्षण को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए इन सभी आठ ग्रामों को लौरिया चीनी मिल के साथ परम्परागत् रूप से आरक्षित किये जाए।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मेसर्स एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया, पश्चिम चम्पारण के पक्ष में पेराई सत्र 2015–16 से पेराई सत्र 2019–20 (पाँच वर्षो) के लिएः–

(i) राज्य के पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत उनको पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 139 ग्रामों को जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट–'क' के रूप में दर्शित है, को परम्परागत् रूप से आरक्षित किया जाता है।

(ii) विभागीय आदेश संख्या–2158 दिनांक 24.09.2014 के माध्यम से योगापट्टी अंचल में न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज को दो Patches में अपरम्परागत् रूप से आरक्षित 7 ग्राम जिनका नाम उक्त आदेश के

अनुसूची–'क' पर अंकित है तथा आदेश संख्या–2155 दिनांक 24.09.2014 के माध्यम से योगापट्टी अंचल में हरिनगर चीनी मिल को अपरम्परागत् रूप में आरक्षित ग्राम–पिपरहिया (थाना नं॰ 400) (अनुसूची–'क' का क्रमांक–12) के आरक्षण को तत्कालिक प्रभाव से रद्द करते हुए वर्णित सभी आठ ग्रामों जिसका विवरण इस आदेश के परिशिष्ट–'ख' पर अंकित है, को एच॰पी॰सी॰एल॰ लि॰, लौरिया के साथ परम्परागत् रूप में आरक्षित किया जाता है।

इन आठ ग्रामों के किसानों को यदि हरिनगर एवं नरकटियागंज मिलों द्वारा यदि दादनी दी गयी है तो उसकी सूची सहित विवरण उनके द्वारा लौरिया मिल प्रबन्धन को उपलब्ध करायी जायेगी। लौरिया मिल प्रबंधन द्वारा संबंधित किसानों के ईखापूर्ति से उपरोक्त राशि को प्राप्त कर हरिनगर एवं नरकटियागंज मिल को वापस किया जायेगा।

लेखापित एवं शुद्धित
त्रिपुरारि शरण,
ईखायुक्त, बिहार, पटना

आदेश से,
त्रिपुरारि शरण,
ईखायुक्त।

परिशिष्ट " क "

एच॰ पी॰ सी॰ एल॰ वायोफ्यूल्स, लिमिटेड लौरिया इकाई पश्चिमी चम्पारण के लिये वर्ष 2015–16 से 2019 –20 तक के लिये परम्परागत आरक्षित 139 ग्रामों की सूची।

क्रमांक	जिला का नाम	राजस्व थाना	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
1	प० चम्पारण	लौरिया	ढ़ढ़वा	430
2			पकड़ी	431
3			लौरिया ए	432
4			बेलवा	433
5			ठाकुर टोला	434
6			मराहिया	435
7			पडरौन	436
8			विशुनपुरवा	437
9			फुलरिया	438
10			लोहरपटिया	439
11			डुमरा	440
12			मथिया	441
13			पकरी	442
14			मंगुराहा	443
15			मंगुराहा	444
16			मंगुराहा	445
17			परसा	446
18			पवनटोला	447
19			बंकटवा	448
20			वंशवरिया	449
21			गिरिया	450
22			दुबौलिया	451
23			लखनपुर	452
24			गोखुला	453
25			सिरूकहिया	675
26			बेलवा	676
27			बरवा	677
28			पंचभिरवा	678
29			ळरपुर	679
30			फुलवरिया	680
31			कटैया	682
32		चनपटिया	मुसहरी	1
33			भीखमपुर	4
34			वीजबनिया बन्दबस्ती	6
35		योगापट्टी	गोरा	8
36			गोबिनापुर	9
37			खुशहालपट्टी	10

38			लक्ष्नौता	11
39			जमुनिया	12
40			सिंहपट्टी	13
41			अमैठिया	14
42			संग्रामपुर	15
43			बरियारपुर	16
44			विश्रामपुर	17
45			दरवलिया	18
46			हथिया	19
47			मच्छरगाँवां	20/1
48			कुंवरापट्टी	22
49			दुलारपट्टी	23
50			बकुचिया	24
51			धनगरवा	25
52			मटकोटा	28
53			रूदलपुरपटेरवा	30/2
54			मनोपट्टी	39
55			लक्ष्मीपुर	40
56			रामपुर बहेलिया	47
57			पुरैना	48
58			बायोपट्टी	50
59			मथिया रसुलपुर	51
60			बहुरवा	52
61			परेगवा	351
62			ननकार	405
63			सोनवरसा	406
64			पडरौन	407
65			चोरही	408
66			सिरसिया	409
67			पिपरपांती	410
68			शिवराजपुर	411
69			सिसव भूमिहार	412
70			खैरातीत	423
71			सहादतपुर	424
72			ओझवलिया	425
73			गौनरिया	426
74			दोनबार खुर्द	427
75			दोनबार कला	428
76			बरवा	429
77			सेहुरवा	430
78			सिकटा कला	431
79			सिकटा खुर्द	432
80		बगहा–1	बलुही	312
81			नगुनाहाँ इस्ट	313
82			बीबी बंकटवा	318
83			मंझौवा	319
84			पडरी	320
85			परसौनी	324
86			हरपुर	325
87			हमीरा	326
88			तरकुलवा	371
89			मोतीटोला	372

90			धरमकॉटा	327
91			राजगीरभुजौली	328
92			इंगलिशिया	329
93			जमादारटोला	330
94		लौरिया	डुमरा	673
95			भेरिहरवा	426
96			गोनदौली	427
97			सिसबनिया	428
98			बरवा कला	429
99			जवाहिरपुर	482
100			परोराहा	674
101		चनपटिया	लक्ष्मीपुर	7
102		योगापट्टी	छतीअनवां	21
103			ढ़ोढ़वलिया	26
104			बरवा	321
105		बगहा–1	जमादार टोला	332
106			सिसवा	333
107			वंसतपुर	334
108			विशुनपुरवा	314
109			बनकरवा तिवारी	315
110			मानपुर	316
111			टेसरिया	317
112			मठैयावृत	368
113			टोला पिपरा	369
114			जैनी टोला	370
115			टोला गोसाईं	373
116			टोला परसौनी	374
117			टोला अलख डबरी	375
118			टोला डवरी	376
119			टोला मझरिया	377
120			सिसवां	378
121			सिंसवा	379
122			नया गांव	380
123			भठइया	383
124		योगापट्टी	सिसबनिया	27
125			नवगांवा	29
126			लौकरिया जोगा पट्टी	30/1
127			कोईगांवां	31
128			हथिया खाप	32
129			भटबलिया	33
130			मदारपुर	34
131			एराजीननकार	35
132			चौमुखा	36
133			मंधातापुर	37
134			मंगलपुर	38
135			डुमरी	43
136			बरहरवा	44
137			फतेहपुर	45
138			भेलबनवां	46
139		लौरिया	धोबनी	481

परिशिष्ट " ख "

एच॰ पी॰ सी॰ एल॰ वायोफ्यूल्स, लिमिटेड लौरिया इकाई पश्चिमी चम्पारण के लिये वर्ष 2015–16 से 2019 –20 तक के लिये परम्परागत आरक्षित 8 ग्रामों की सूची।

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प० चम्पारण	**योगापट्टी**	01.	ढ़वेलवा	359
		02.	खुटवनिया	360
		03.	पिपरा नवरंगिया	104
		04.	जगदंबापुर	105
		05.	भवानीपुर	42
		06.	ढ़बिया	41
		07.	कोनहरा	106
		08.	पिपरहिया	400

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1209-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in